जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-19.07.2025**

प्रेस नोट

थाना बाबरी पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के मामलें में 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो दिनांक 17.07.2025 को थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पीडिता के परिजन द्वारा थाना बाबरी पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 19.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1.रामकुमार उर्फ रामू पुत्र लोकेन्द्र निवासी ग्राम बन्तीखेडा थाना बाबरी जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री सुनील सिंह वर्मा थाना बाबरी जनपद शामली।

2.है0का0 अशफाक खां थाना बाबरी जनपद शामली।